भारत सरकार

महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एस० एण्ड० डी० अनुभाग

कमरा सं0 114ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली

Ph. No. 011-23061911, 23063027, Fax No. 011-23061122

Email: cpwd_dirsd@nic.in

No. 31(1)/4/2011/S&D/ 580

Dated 1 0 SEP 2012

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Notification of the revised Recruitment Rules of Stenographer Gd-II of Subordinate Cadre of CPWD.

The undersigned is directed to refer to above mentioned subject and to state that the revised Recruitment Rules for the post of Stenographer Gd-II of CPWD (erstwhile Stenographer Gd-III) has since been notified vide GSR No. 170 dated 11.7.2012 (copy enclosed).

- 2. Accordingly, Stenographer Gd-III of Subordinate Cadre of CPWD is redesignated as Stenographer Gd-II with immediate effect.
- 3. Concerned Additional Directors General are requested to instruct Superintending Engineer, Coord. Circles to make recruitment of Stenographer Gd-II, in accordance to notified RRs.

This issues with the approval of Additional Director General (S&P).

Encl. As above.

(अनुपम अग्रवाल)

निदेशक (एस० एण्ड० डी०)

To

All Additional Directors General
All Chief Engineers / Chief Architects
DDG(Pers)/DDG(W)/DDG(HQ)/DDG(H)

Copy to:

Desk Officer, EW-II, Ministry of Urban Development with a copy of notified RRs.

निदेशक (एस० एण्ड० डी०)

KSGaur Doo

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

- GS.R. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department, Stenographer Grade-II, Group 'C', Recruitment Rules, 1994, except as respect things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stenographer Grade-II, Group 'C' posts under the Central Public Works Department, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Public Works Department, (Subordinate offices) Stenographer Grade-II (Group 'C'), Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedules.
- 4. Method of recruitment, age limit, other qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	113*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200— 20200 Grade Pay of ₹ 2400	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government servant up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required	Whether age and		Period of probation, if any	
for direct recruits	qualification pr	ll apply in the		
	case of promoteo	es	(0)	0.19.2-54
(7)	(8)	75- 11	(9)	
 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University. 	Not applica	able	Two year	S
(ii) Skill Test norms				
Dictation: 10 mts @ 80 w. p. m. Transcription:				
65 mts (English), 75 mts (Hindi) (On Manual				
Typewriter) or 50 mts (Eng), 65 mts (Hindi) (On Computer).			and the second	
No. 4. 1 - F 4. Wheels a bank in a transmitter and	In case o	£	h.,	
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion or deputation to be made			
(10)		(11)	las ing mode	U
Direct recruitment through Staff Selcetion Commission.		Not applic	able	V.
Note.—Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).		a gradient de la company de la		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	s		in which Union Publis to be consulted	
(12)	c-+1-1 m = 10		(13)	
Group 'C' DPC for confirmation :—		N	ot applicable.	
 Superintending Engineer (Coord) (Civil) of the Region, Central Public Works Department 	-Chairman			
2. Superintending Engineer from the same Station/ — Region, Central Public Works Department	-Member			
One Executive Engineer or Superintending Engineer, Central Public Works Department	-Member			

[No. 31(1)/4/2011-S & D/EW-2] VARGHESE YOHANNAN, Desk Officer (EW-2)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1116-1119

Dated 14-7-2012

शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 170.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय), आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय), आशुलिपिक श्रेणी-2 (समृह 'ग') भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची					
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-2	113* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	The) and from>>		
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	परिवीक्षा की अविध, यवि कोई हो	
	लागू होंगी या नहीं		
(7)	(8)	(9)	
 (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य (2) श्रुतलेख कौशल परीक्षण मानक : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति 	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
मैन्युअल टाइपराइटर पर 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) या कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) अनुलिपि			
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वार जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमे	ा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया लन किया जाएगा	
(10)	(11)	
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।			
टिप्पण: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद आरण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए बाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नह	IDI3 16	
दि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में कि सेवा आयोग से प	न परिस्थितियों में संघ लोक प्रमर्श किया जाएगा	
(12)		(13)	
ष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नित समिति :— 1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, क्षेत्र का अधीक्षण —अध्यक्ष अभियंता (समन्वय) (सिविल)		्र नहीं होता ।	
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उसी केन्द्र/क्षेत्र से —सदस्य			

अधीक्षण अभियंता

3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक कार्यपालक

अभियंता या अधीक्षण अभियंता

[सं. 31(1)/4/2011-एस एण्ड डी/ई डब्ल्यू-2] वर्गीस योहन्नान, डेस्क अधिकारी (ई डब्ल्यू-2)